

HHK

HELPERS OF THE HANDICAPPED, KOLHAPUR

'Nasheman', 235/11, E, Tarabai Park, Kolhapur 416 003. (India)
Tel. (Off) 2680026, 6521294, (R) 2661225 (Hostel) 2615169, 6523045

Registration Numbers :
Under Societies Regi. Act, 1860 : Maharashtra / 2999 / Kolhapur./29.3.1984
Under Bombay Public Trusts Act 1950 : F / 2888 / Kolhapur./11.6.1984
Under Foreign Contribution Regulation Act : 083860033/1.3.1994



H.A. No. **7714**

Date: **24/06/2015**

Received with thanks from Shri / Smt./M/s. Young Volunteers Organization,
C-104, Mhatre Pen Building, Senapati Bapat Road,
Dadar (West), Mumbai - 400 028. (Cell : 7045491925)

the Sum of Rupees One lakh four thousand four hundred four only by cash

Cheque No. NEFT Dated 24/06/2015 drawn on Union Bank of India A/c no.
376802010070704 on account of donation.

Approval u/s 80-G of IT Act 1961 extended in perpetuity vide ITO (Tech-II) letter
KOPICIT-II/ITQ(TECH-II).80-G(Renewal)/2010-11/42/29/2695 of 9 Mar 2011



Rs. 1,04,404/- Subject to Realisation

Donations to 'Helpers of the Handicapped, Kolhapur' are eligible for Income Tax Exemption u/s 80 (G) of the Income Tax Act. 1961 vide Certificate No. Kolhapur IT Comm.-II / 80-G / 2 / 1 / 2008-09 / 1426 Dtd. 25.09.2008 Validity Period 3.4.2008 to 31.3.2011

PAN : AAATH0724J

आयकर आयुक्त- II का कार्यालय, कोल्हापुर
 आयकर भवन, 31 - सी / 2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

फा.सं.- कोल्हा/आ.आ. - II / 80G / 2 / 1 / 2008-09 / 1426 : दिनांक : 25/09/2008

आदेश


आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अधिन

-: मान्यता प्रमाणपत्र :-

~~पत्रफर्ताओं द्वारा हेल्परस आफ दि. हड्डिकेड, कोल्हापुर~~
~~ताराबाई पार्क, कोल्हापुर~~ को विधे गये पान आयकर अधिनियम 1961 की
 धारा 80-G में विहित राता और संग्रहों के अधिन पर राहत के लिये भगी हो।

- यह प्रमाणपत्र दिनांक 03/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) (अ) प आयकर नियमावली 1962 के निरंम 12 की ओर ध्यान आकंपित किया जाता है।

दिनांक : 25/09/2008
 कोल्हापुर



हस्ता
 (जे. सुरेशा)
 आयकर आयुक्त-II
 कोल्हापुर.

दिपणी :-

- पत्रफर्ताओं को जारी की गयी रसीदों में इस आदेश की संख्या प तारीख स्पष्टतया उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र दिनांक 31/03/2011 तक वैध है।
- आय- व्यय ज्ञाता और संग्रह तुलन पत्र को हर साल सहायक आयकर आयुक्त / आयकर अधिकारी पार्ड 2 (1) कोल्हापुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- इस पुट के नविनीकरण के लिये आय- व्यय ज्ञाता और संग्रह तुलन पत्र की प्रतियों के साथ संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि न्यास / संस्था के उद्योगों में या नियमों में कोई संशोधन किया गया हो, तो उसकी प्रतियां आवश्यक होंगी, साथ में एक प्रमाणपत्र भी में कि धारा 13(1) (ग), 13(1) (खी) के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- पुटके नविनीकरण के लिए पत्र धेते समय इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भ और दिनांक का उल्लेख करें।

प्रतिलिपी :-

1. चाल / संस्था हेल्परस आफ दि. हड्डिकेड, कोल्हापुर
 ताराबाई पार्क, कोल्हापुर
2. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, परीरार कोल्हापुर
3. आयकर अधिकारी पार्ड (1) कोल्हापुर



(जे. सुरेशा)
 आयकर आयुक्त-II
 कोल्हापुर.